



बिहार सरकार

## पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कृषि वानिकी (पॉप्लर ई0 टी0 पी0) योजना में शामिल होने का सुनहरा अवसर

“खेतों में फसल के साथ पॉप्लर के पौधे लगायें, आमदनी एवं हरियाली बढ़ाएँ प्रदेश में खुशहाली लायें”

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर, 2020 है।

योजना का उद्देश्य	इस योजना में शामिल होने वाले लाभुकों/कृषकों को पॉप्लर के पौधें 10/- रू0 प्रति पौधे की दर से सुरक्षित मूल्य लेकर उपलब्ध कराये जायेंगे। इससे पॉप्लर के वृक्ष तैयार होंगे, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। इन पौधों के बड़ा होने पर इससे होने वाली संपूर्ण आय पर शत-प्रतिशत अधिकार किसान बंधुओं का ही होगा।
पॉप्लर ई0 टी0 पी0 की उपलब्धता	विभागीय संकल्प संख्या : 1757 दिनांक- 16.12.2019 के आलोक में इस योजना में शामिल होने वाले उद्यमी/कृषकों/लाभुकों को विभाग की स्थानीय पौधशालाओं से पॉप्लर के पौधें रू0 10/- प्रति पौधे की दर पर सुरक्षित राशि जमा करने के उपरान्त उपलब्ध कराये जाते हैं। पॉप्लर रोपण हेतु न्यूनतम दस फीट ऊँचाई एवं 2.5 ईंच गोलाई के पौधों को रोपण के लिए उपलब्ध कराया जाता है।
योजना में शामिल जिलें	उत्तर बिहार के सभी जिलें।
योजना में दिये जाने वाले लाभ	<ul style="list-style-type: none"> <li>चयनित किसानों को पॉप्लर के पौधें 10/- रू0 प्रति पौधे की दर से सुरक्षित मूल्य लेकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।</li> <li>पॉप्लर ई0 टी0 पी0 रोपण एवं पौधों के देखभाल की तकनीकी जानकारी दी जायेगी।</li> <li>तीन वर्षों के उपरान्त 50 प्रतिशत से अधिक उत्तरजीविता होने पर 60/- रू0 प्रति पौधा की दर से प्रोत्साहन राशि दी जायेगी तथा पूर्व में जमा सुरक्षित मूल्य 10/- रू0 भी अलग से कृषक बंधु को लौटा दिया जायेगा।</li> <li>वृक्षारोपण पूरे खेत में 3 मी0 x 4 मी0 या 3 मी0 x 3 मी0 की दूरी पर या अन्य फसलों के साथ या मेड़ पर लगाये जा सकते हैं। किसानबंधु अपनी आवश्यकतानुसार तथा जमीन की उपलब्धता के अनुसार पौधें लगा सकते हैं।</li> <li>पौधों पर संपूर्ण अधिकार किसान बंधुओं का होगा।</li> </ul>
योजना में शामिल होने के लिए पात्रता	आवेदक की अपने नाम से या लीज पर पौधें लगाने लायक समतल, ऊँची एवं जल-जमाव मुक्त भूमि होनी चाहिए।
आवेदन कहाँ करें	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्थानीय वन क्षेत्र कार्यालय या वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय।</li> <li>hariyalimission@gmail.com पर ई-मेल करें।</li> </ul>
आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने वाले कागजात (इनमें से किसी एक की छायाप्रति)	<ul style="list-style-type: none"> <li>भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र।</li> <li>अद्यतन लगान रसीद।</li> <li>एकरारनामा की प्रति (यदि जमीन लीज पर ली गयी हो)।</li> </ul>
चयन में प्राथमिकता	<ul style="list-style-type: none"> <li>जो दो हेक्टेयर या अधिक भूमि (एक साथ) पर वृक्षारोपण करने के इच्छुक हो।</li> <li>एक से अधिक किसान एक ही स्थान पर मिलकर दो हेक्टेयर या अधिक भूमि पर वृक्षारोपण करने के इच्छुक हो।</li> </ul>
विस्तृत जानकारी	<ul style="list-style-type: none"> <li>वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय या विभाग की वेबसाईट <a href="http://www.forest.bih.nic.in">www.forest.bih.nic.in</a> से प्राप्त की जा सकती है।</li> <li>ई-मेल से जानकारी प्राप्त करने के लिए <a href="mailto:hariyalimission@gmail.com">hariyalimission@gmail.com</a> पर मेल करें।</li> <li>अधिक जानकारी के लिए कार्यालय अवधि - पूर्वाह्न : 10:30 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक कार्यालय दिवसों में मो0 नं0-9473045992/व्हॉट्सएप नम्बर 7903162319 पर सम्पर्क किया जा सकता है।</li> </ul>

कृषि वानिकी योजना (पॉप्लर ई0 टी0 पी0) में शामिल होने के लिए आवेदन प्रपत्र

- वन प्रमंडल का नाम :- .....
- जिला का नाम :- .....
- वन प्रक्षेत्र इकाई का नाम :- .....
- प्रखंड का नाम :- .....
- आवेदक का नाम :- .....
- पिता/पति का नाम :- .....
- पेशा :- .....
- जन्म तिथि :- .....
- स्थायी पता :- .....

10. वर्तमान पत्राचार का पता :- .....

(दूरभाष/मोबाईल नं0 अंकित करें) .....

- ई-मेल (यदि हो) :- .....
- भूमि का विवरण :-

क्र0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकबा (एकड़ में)	रसीद सं0/वर्ष

13. समूह में आवेदन करने पर भूमि की विवरणी (जगह कम पड़ने पर अलग पृष्ठ में विवरणी संलग्न करें।)

क्र0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकबा (एकड़ में)	रसीद सं0/वर्ष

14. प्रस्तावित वृक्षारोपण :-

क्र0	वृक्षारोपण	पौधों की संख्या
(क)	फार्म वानिकी (पूरी भूमि पर)	
(ख)	कृषि वानिकी (कृषि फसलों के साथ या मेड़ पर)	

15. प्रशिक्षित है/प्रशिक्षण की आवश्यकता है (कृपया ✓ करें)

16. बैंक खाता विवरणी :-

बैंक खाता नं0	बैंक का नाम एवं शाखा	I.F.S.C कोड

17. घोषणा :- मैं स्वेच्छा से अपनी भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहता/चाहती हूँ तथा रोपित पौधों की सुरक्षा एवं संपोषण की जिम्मेदारी लेता/लेती हूँ। वृक्षों के परिपक्व होने अथवा आँधी तूफान में गिरने/सूखने की स्थिति में ही इन पौधों की कटाई आवश्यकतानुसार करूँगा/करूँगी। पौधों का सुरक्षित मूल्य देने के लिए मैं सहमत हूँ।  
संलग्न अभिलेख की विवरणी

- 
- 
- 

आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम तिथि के साथ